



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939

No. 522]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 23 जून, 2017

आयकर

सा.का.नि.631(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 48/2017, दिनांक 08 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 561(अ) दिनांक 08 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के पृष्ठ 8 पर फार्म संख्या 26क्यू सी में,—

मुख्य शीर्ष कोड*	2	0
------------------	---	---

“के स्थान पर”

मुख्य शीर्ष कोड*		
------------------	--	--

[अधिसूचना सं. 55/2017/फा. सं. 370142/16/2017-टीपीएल]

लक्ष्मी नारायणन, अवर सचिव (टीपीएल)